# समाहरणालय, बेगूसराय

## (जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

### आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3936/आ0प्र0, दिनांक– 03.11.2014 एवं पत्रांक पत्रांक– 4477/आ0प्र0, दिनांक– 16.12.2014 एवं पत्रांक– 2638/आ0प्र0 दिनांक–08.07.2016 के आलोक में आपदा के दौरान राहत शिविरों के लिए खाना बनाने एवं परोसने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोटेशन के आधार पर जिला क्रय समिति द्वारा दिनांक– 10.08.2016 को लिये गये निर्णय के आलोक में सबसे कम दर वाले निविदादाता मेसर्स अम्बिका बर्तन भंडार, तेघड़ा, बेगूसराय को निम्नांकित साईज, गुणवत्ता, संख्या एवं दर के अनुरूप बर्तन आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया जाता है।

| क्र0 | सामग्री का नाम | सामग्री की मात्रा | दर सभी कर सहित |
|---|---|---|---|
| 1 | थाली (क्लासीक 450 ग्रा0–280) | 300 | 126 रू0 प्रति पीस |
| 2 | ग्लास (क्लासीक 120 ग्रा0–320) | 300 | 39 रू0 प्रति पीस |
| 3 | कटोरा (क्लासीक 200 ग्रा0–320) | 300 | 64 रू0 प्रति पीस |
| 4 | गमला (शुभ 690 ग्रा0–220) | 15 | 152 रू0 प्रति पीस |
| 5 | ट्रेय (राजलक्ष्मी 350 ग्रा0–280) | 15 | 98 रू0 प्रति पीस |

1. आपूर्तिकर्त्ता को 24 घंटा के अंदर एकरारनामा करना होगा कि "आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 24 घंटा के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप निर्धारित संख्या, साईज एवं दर के अनुसार बर्तनों की आपूर्ति निश्चित रूप से करेगें एवं जिला मुख्यालय तक पहुँचाऐगें" इसके लिए कोई परिवहन शुल्क या अन्य कोई चार्जेज अलग से देय नहीं होगा।
2. आपूर्तिकर्त्ता को बर्तन की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
3. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवष्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकर्त्ताओं से स्थानीय बाजार के अनुमोदित दर पर आपूर्ति कर ली जा सकती है।
4. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नमूने के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्व कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. बर्तनों की आपूर्ति करने के पश्चात लेखा प्रदायी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता को बर्तनों का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में बिलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
7. बर्तनों के साईज एवं मात्रा सही नहीं पाये जाने पर निविदादाता को सामग्री वापस ले जाना होगा एवं अपने खर्च पर पुनः सही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए कोई परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
8. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, बेगूसराय की अध्यक्षता में एक निरीक्षण टीम गठित की जाती है। निरीक्षण टीम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय सदस्य के रूप में नामित किये जाते हैं। निरीक्षण टीम का दायित्व होगा कि आपूर्ति किये गये बर्तनों की गुणवत्ता की जॉच कर गुणवत्ता प्रमाण पत्र देगें।

**जिला पदाधिकारी,**
**बेगूसराय।**

ज्ञापांक ......620........ / आ०प्र०, दिनांक .....29.08.16.......

प्रतिलिपिः— मेसर्स अम्बिका बर्तन भंडार, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सूचना विज्ञान प्रोधोगिकी पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश को जिला पदाधिकारी के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

**प्रतिलिपिः—** अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, बेगूसराय / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय / जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः—** प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

**जिला पदाधिकारी,**
**बेगूसराय।**